भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या **1703**

जिसका उत्तर मंगलवार, 02 जुलाई, 2019/11 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरक राजसहायता का अंतरण

1703. श्री तेजस्वी सूर्याः

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 'प्वाइंट ऑफ सेल' मशीन का उपयोग कर बिक्री आंकड़ों का सत्यापन करने के बाद, कंपनियों की राजसहायता के अंतरण में अकुशलता पाई है;

(ख) क्या सरकार नीति आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप उर्वरक की राजसहायता सीधा किसानों के बैंक खातों में अंतरित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने किसानों के बैंक खातों में राजसहायता का सीधा अंतरण शुरू करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है और, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि राजसहायता की राशि किसानों के खातों में अंतरित की जाती है तो इससे किसान किस प्रकार लाभांवित होंगे?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्री

(श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा)

(क): जी, नहीं। ऐसी कोई घटना नहीं देखी गई है तथा पीओएस मशीनों के माध्यम से बेचे गए उर्वरकों के आधार पर नियमित रूप से राजसहायता जारी की जा रही है।

(ख) से (घ): उर्वरक विभाग के अनुरोध पर, नीति आयोग ने उर्वरकों में डीबीटी के कार्यान्वयन की व्यवहार्यता की जांच हेतु एक समिति गठित की है तथा लाभार्थियों के खाते में राजसहायता के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण हेतु एक मॉडल का सुझाव दिया है। इस समिति ने एक मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसे सभी संबंधितों को उनकी टिप्पणियों हेतु भेजा गया है।

******